"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 जून 2014— आषाढ़ 5, शक 1936

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-48/2013/स.क./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत एवं समाज कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 8 के कॉलम (4) में, अंक "1" के स्थान पर, अंक "4" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 8 के कॉलम (4) में, अंक एवं चिन्ह "30%" के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह "100%" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 8 के कॉलम (5) में, अंक एवं चिन्ह "70%" को विलोपित किया जाये.

4. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 3 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"3क	सहायक संचालक	सहायक संचालक संवर्ग	21	30	स्नातक	-"

5. अनुसूची-तीन के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाये, अर्थात् :-

"**टीप** :- ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं, के लिये उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

Raipur, the 26th June 2014

NOTIFICATION

No. F 1-48/2013/S. W./26. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Panchayat and Social Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2008, nemely :-

AMENDMENT

In schedule of the said rules,-

1. In Column (4) of serial number 8 of Schedule-I, for the figure "1", the figure "4" shall be substituted.

2. In Column (4) of serial number 8 of Schedule-II, for the figure and symbol "30%", the figure and symbol "100%" shall be substituted.

3. In Column (5) of serial number 8 of Schedule-II, the figure and symbol "70%", shall be omitted.

4. After serial number 3 of Schedule-III, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"3A	Assistant Director	Assistant Director cadre	21	30	Graduation	-"

5. After Schedule-III, the following shall be added, namely :-

"**Note**:-The upper age limit shall be relaxable for the candidates who are domicile resident of the state of Chhattisgarh, as per instructions issued by the General Administration Department, from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUBRAT SAHOO, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.